

राजस्व वाद 156/2020  
जीसीएमएस नंबर-2020/00286  
रामनिवास वगैरह बनाम हनुमानसिंह वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 156/2020

वादीगण-

1. रामनिवास पुत्र जीवणराम
2. बाबुलाल पुत्र जीवणराम
3. पुखराज पुत्र जीवणराम
4. भंवरी देवी पुत्री जीवणराम
5. सुगना देवी पुत्री जीवणराम

जातियान-खाती, निवासी-सांजू, तहसील डेगाना, जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. हनुमानसिंह पुत्र फतेहसिंह
2. चैनसिंह पुत्र फतेहसिंह
3. भंवरकंवर पुत्री फतेहसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण-कावली, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

4. एसडीएफसी बैंक शाखा मेड़ता सिटी।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कसनाउ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 परफॉर्मा पक्षकार।
4. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण सभी आपस में भाई बहन जो श्री जीवणराम पुत्र भागीरथ के वारिसान है। श्री जीवणराम का स्वर्गवास हो चुका है। उनके वारिसान वादीगण ही है। श्री जीवणराम की खरीदसुदा मौजा कालवी तहसील जायल में खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर आई हुई है जो उसके तत्कालीन खातेदार श्री कानसिंह से दिनांक 29.03.1966 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद लिया था तथा उससे पूर्व से ही उस पर कब्जा काश्त करते रहे थे। तथा तब से लेकर आज तक इस भूमि पर कब्जा काश्त पहले श्री जीवणराम का तथा उनके स्वर्गवास के बाद अब वादीगण का ही है। श्री जीवणराम द्वारा

JGV  
22/6/2022  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

रामनिवास वगैरह बनाम् हनुमानसिंह वगैरह  
खरीदसुदा भूमि के पडौस इस प्रकार है। नथूदास साद के बेटों का खेत, दक्षिणी में मंगलाराम गोदारा के बेटों पोतों के खेत, पूर्व में भी मंगलाराम गोदारा के बेटों व पोतों के खेत तथा पश्चिम में इसी खेत का शेष भाग जो वर्तमान में श्री कानसिंह के वंशज प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। यही पडौस की रजिस्ट्री में ही लिखवाये गये थे। तथा मौके पर भी यही पडौस वादीगण के खरीदसुदा भाग के हैं। जब वादीगण के पिता ने यह खेत खरीद किया उस समय विक्रेता श्री कानसिंह के कब्जे काश्त में अन्य खेताय के अलावा 2 खेताय खसरा नंबर 108 रकबा 99.03 बीघा तथा खसरा नंबर 108/179 रकबा 89.05 बीघा चिपते ही थे। जिनमें से खसरा नंबर 108 पश्चिम में था तथा खसरा नंबर 108/179 पूर्व में था। वादीगण के पिता का कब्जा काश्त उस समय ही खसरा नंबर 108/179 के पूर्वी 20 बीघा भाग पर था। तथा उसी भाग की रजिस्ट्री करवानी थी लेकिन उस समय पक्षकारान् के पूर्वज ज्यादा पढे लिखे नहीं थे तथा उन्होंने खेतों का नक्शा नहीं देखा तथा सहवन से रजिस्ट्री खसरा नंबर 108/179 के स्थान पर खसरा नंबर 108 में से हो गई तथा रजिस्ट्री में इस खेत का पूर्वी भाग का बेचान करना लिख दिया गया जबकि वास्तव में बेचान खसरा नंबर 108/179 के पूर्वी भाग का था। पर क्यों कि दोनों खेत चिपते ही थे तथा इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि खेत अलग-अलग होकर उनके नंबर भी अलग-अलग हैं इस कारण से रजिस्ट्री में उपर बताये गये अनुसार गलत खसरा नंबर 108 में से हो गई तथा कब्जा दूसरे खसरा नंबर 108/179 में रह गया। इस कारण जब रजिस्ट्री का नामान्तरण तथा तरमीम की गई वह भी खसरा नंबर 108 में से हो गया तथा उसके खसरा नंबर 108/1 पड गये तथा नक्शा में भी खसरा नंबर 108 के पूर्वी भाग में तरमीम होकर खसरा नंबर 108/1 अलग कर दिया गया। लेकिन वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त आज दिन भी खसरा नंबर 108/179 के पूर्वी 20 बीघा भाग पर संलग्न नजरीनक्शानुसार है। इतने दिन तक कभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिये रेकॉर्ड की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया अब इस वर्ष वादीगण द्वारा अपने खाते को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना से जुड़वाने के लिया पटवारी हल्का से नकल मांगी तो पटवारी हल्का ने बताया कि अभी तो भूमि वादीगण के पिता के नाम ही है तथा नक्शा देखा गया तो पता चला कि इस खेत का आकार भी मौके के अनुसार नहीं है। इस प्रकार उपर बताये गये अस्त व्यस्त इन्द्राज हो जाने के कारण यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी तथा दुरुस्ती रेकॉर्ड के लिए पेश करना आवश्यक हो जाने से पेश किया जा रहा है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 31.03.2021 को जरिये अधिवक्ता कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वकील प्रतिवादी ने बताया कि दावा स्वीकार है तथा जबाब नहीं देना चाहते हैं। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने की। वकालतनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के सम्मन स्वयं तामिल होकर प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर अप्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में वकालतनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

2  
[सहायक क्लर्क  
(प्र.बी.ओ.) वाद]

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामनिवास पुत्र जीवणराम, अनाराम पुत्र रामाकिशन के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम कालवी तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 75, 244, 240 प्रदर्श-1, दिनांक 29.06.1966 का बेचान लेख पत्र पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये वकालतनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है बेचान पंजीयन दस्तावेज दिनांक 29.06.1966 में खरीदकर्ता एवं बेचानकर्ता दोनों की फौत हो चुके है तथा इस इन्द्राज की दुरुस्ती का एक मात्र विकल्प घोषणा खातेदारी ही है तथा वाद पत्र को माफिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमति एवं वादपत्र में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनकशानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये वकालतनामा आपसी सहमति से गलत इन्द्राज के दुरुस्थी की बात को स्वीकारा है तथा माफिक वकालतनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि खरीदसुदा है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इस्तदुआ व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत सहमति स्वरूप वकालतनामा दिनांक 31.03.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 बैंकस एवं राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा नजरीनकशानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत वकालतनामा दिनांक 31.03.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा कालवी के वादग्रस्त खेतायों में बेचान पंजीयन दस्तावेज दिनांक 29.06.1966 के खरीदकर्ता एवं बेचानकर्ता दोनों की फौत हो चुके है तथा इस इन्द्राज की दुरुस्ती का एक मात्र विकल्प घोषणा खातेदारी होने से पक्षकारान् सहमति से नियमानुसार खातेदारी घोषणा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान वादीगण द्वारा मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर में से 3.2375 हैक्टेयर भाग वादीगण का खरीद सुदा होते हुवे यह खसरा नंबर पूरा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रह जाने

तथा खसरा नंबर 108/1 वाले स्थान पर कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का होते हुवे भी यह रकबा सहवन से रजिस्ट्री इस नंबर की जो जाने के कारण मौके पर कब्जा सही पडौस के मध्य होने से तथा इसी में बट्टा नंबर डालकर तरमीम कर देने से अस्त व्यस्त इन्द्राज तथा मौके के विपरित हो जाने के कारण तथा पक्षकारान् द्वारा मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 में से 3.2375 पूर्वी भाग वादीगण के तथा खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में इस्तदुआ अनुसार चाहा गया है। मौजा कालवी के खसरा नंबर 108/179 में से हिस्से विशेष का बंट चाहा गया जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। मौजा कावली के खेत खसरा नंबर 108/179 के पूर्ण विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने व पक्षकारान् द्वारा मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर में से 3.2375 हैक्टेयर भाग वादीगण का खरीद सुदा होते हुवे यह खसरा नंबर पूरा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रह जाने तथा खसरा नंबर 108/1 वाले स्थान पर कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का होते हुवे भी यह रकबा सहवन से रजिस्ट्री इस नंबर की जो जाने के कारण मौके पर कब्जा सही पडौस के मध्य होने से तथा इसी में बट्टा नंबर डालकर तरमीम कर देने से अस्त व्यस्त इन्द्राज तथा मौके के विपरित हो जाने के कारण तथा बेचान पंजीयन दस्तावेज दिनांक 29.06.1966 में खरीदकर्ता एवं बेचानकर्ता दोनों की फौत हो चुके है तथा इस इन्द्राज की दुरुस्ती का विकल्प घोषणा खातेदारी होने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 07.03.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 07.03.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3222 दिनांक 4.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान् को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रामनिवास, दिनेश, बाबुलाल ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढकर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान पटवारी हल्का भावला तथा भू.अभि.निरीक्षक न्यायसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होंने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 व खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर भूमि का विभाजन सहखातेदारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

- : : आदेश : : -


यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 व खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर भूमि का विभाजन

AM  
अध्यक्ष क्लर्क  
(एस.डी.ओ.) जायल

सहखातेदारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्ली किया जाता है।

1. वादीगण रामनिवास 1/5, बाबूलाल 1/5, पुखराज 1/5 पुत्रगण जीवणराम, भंवरी देवी 1/5, सुगना देवी 1/5 पुत्रिया जीवणराम के संयुक्त हक बट कब्जा काश्त में मौजा कावली का खेत खसरा नंबर 108/179 में से 32575 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. हनुमानसिंह 1/3, चैनसिंह 1/3 पुत्रगण फतेहसिंह भवरकवर पुत्री फतेहसिंह के संयुक्त हक बट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर में से 112664 हैक्टेयर पश्चिमी भाग एव खेत खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरा नं के संबध में संबधित बैंक को सूचित होकर अद्यतन कराया जावे। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

  
22/6/2022  
(रवीन्द्र कुमार) जायल  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 156/2020

वादीगण-

1. रामनिवास पुत्र जीवणराम
2. बाबूलाल पुत्र जीवणराम
3. पुखराज पुत्र जीवणराम
4. भंवरी देवी पुत्री जीवणराम
5. सुगना देवी पुत्री जीवणराम, जातियान-खाती, निवासी-सांजू, तहसील डेगाना।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. हनुमानसिंह पुत्र फतेहसिंह
2. चैनसिंह पुत्र फतेहसिंह
3. भंवरकंवर पुत्री फतेहसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण-कावली, तहसील-जायल।
4. एसडीएफसी बैंक शाखा मेड़ता सिटी।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कसनाउ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

5. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
6. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
7. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 परफॉर्मा पक्षकार।
8. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि- यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 व खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर भूमि का विभाजन सहखातेदारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।


1. वादीगण रामनिवास 1/5, बाबूलाल 1/5, पुखराज 1/5 पुत्रगण जीवणराम, भंवरी देवी 1/5, सुगना देवी 1/5 पुत्रियां जीवणराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त

22/6/2022  
जिलाधिकारी, जयपुर, राजस्थान

में मौजा कावली का खेत खसरा नंबर 108/179 में से 3.2575 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

- हनुमानसिंह 1/3, चैनसिंह 1/3 पुत्रगण फतेहसिंह, भंवरकंवर पुत्री फतेहसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 108/179 रकबा 14.5039 हैक्टेयर में से 11.2664 हैक्टेयर पश्चिमी भाग एवं खेत खसरा नंबर 108/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
- तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
- बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित होकर अद्यतन कराया जावे। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया कलेक्टर



22/6/2022  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)